सं0सं0–5 बजट (1) 04/2023 44 रा0 वि0

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वाराः– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

राँची/दिनांक 13/02/23

विषय– **मॉग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रमाग) में वित्तीय वर्ष 2022–23 में केन्द्र प्रायोजित योजना (CSS) – ब्लू रेमोल्यूशन योजना के तहत् स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन पूर्व वित्तीय वर्ष में विमुक्त केन्द्रांश की अव्यवहृत राशि मो0 8.40 लाख (आठ लाख चालीस हजार) रूपये मात्र को भारत सरकार को वापस किये जाने हेतु उक्त राशि के व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में माँग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना (CSS) – ब्लू रेभोल्यूशन योजना के तहत् द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन पूर्व वित्तीय वर्ष में विमुक्त केन्द्रांश की अव्यवहृत राशि मो0 8.40 लाख (आठ लाख चालीस हजार) रूपये मात्र के वर्तमान परिदृश्य में उपयोग नहीं होने की संभावना के कारण भारत सरकार को वापस किये जाने हेतु उक्त राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. केन्द्र प्रायोजित योजना–ब्लू रेभोल्यूशन योजना भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रारंभ की गई तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस योजना में आमूल चूल परिवर्तन करते हुए ''प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना'' के रुप में नई योजना प्रारंभ की गई है।

3. पूर्व के वित्तीय वर्ष में ब्लू रेभोल्यूशन योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए विमुक्त/पुनर्वैधिकृत की गई केन्द्रांश की राशि जिसका सम्यक सदुपयोग अब संभव नहीं है, की विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है जिसमें अव्यवहृत राशि को भारत सरकार को वापस किये जाने का प्रस्ताव है –

(राशि लाख रुपये में)

क	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत कार्य	प्रशासनिक स्वीकृति	स्वीकृत केन्द्रांश की राशि	विमुक्त केन्द्रांश	प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र	अव्यहृत शेष (विमुक्त केन्द्रांश के विरुद्ध)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2018–19 (व्यय हेतु वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में पुनर्वैधिकृत)	मछुआरों का आवास निर्माण	1200.00	720.00	720.00	711.60	8.40
						कुल :	**8.40**

राशि की वापसी निम्न उपलब्ध बजट शीर्ष के माध्यम से की जाएगी जिसकी विवरणी, उपलब्ध बजट उपबंध तथा स्वीकृत राशि की विवरणी निम्न प्रकार है –

(राशि लाख रु0 में)

कम	मुख्य शीर्ष, मद एवं विपत्र कोड	द्वितीय अनुपूरक द्वारा स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत राशि
1	मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–62–नई योजना–ब्लू रेभोल्यूशन योजना–विस्तृत शीर्ष–08–लेखा समायोजन–86–वापसी **53C24050079662010886**	8.40	8.40

मो0 आठ लाख चालीस हजार रुपये मात्र।

4. इस योजना के लिए उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए स्वीकृत योजना उद्व्यय के अंतर्गत है।

5. राशि की निकासी निदेशक मत्स्य द्वारा डोरण्डा कोषागार से एकमुश्त करते हुए केन्द्र सरकार Pay and Account Officer (PAO), Sectt. II, Department of Fisheries, MOF, AH & D, New Delhi को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से वापस की जाएगी।

6. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0 –01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

7. राशि वापसी के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

8. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी.)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 44 रा0 (वि0) **/रॉची, दिनांक** 13/02/23
प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 44 रा0 (वि0) **/रॉची, दिनांक** 13/02/23
प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 44 रा0 (वि0) **/रॉची, दिनांक** 44 रा0 (वि0)
प्रतिलिपि : योजना–सह–विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/वित्त विभाग (बजट शाखा), झारखण्ड, रॉची/आ0 वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव